

मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग मंत्रालय  
भोपाल

क्रमांक ४५९ 2018/19/यो/परिपत्र  
प्रति,

भोपाल दिनांक 26/02/2018

- ✓ प्रमुख अभियंता,  
लोक निर्माण विभाग,  
निर्माण भवन,  
भोपाल।
- 2 परियोजना संचालक,  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,  
लोक निर्माण विभाग,  
भोपाल।

विषय :- अनुबंध को पुनर्जीवित (Revoke) किये जाने के संबंध में।

वर्क्स डिपार्टमेंट मैनुअल की अपेण्डिक्स 2.10 के अंतर्गत परसेंटेज रेट निविदा प्रपत्र प्रावधानित है। इस निविदा प्रपत्र की कण्डिका 27.3 के अंतर्गत कार्यपालन यंत्रियों द्वारा ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में अनुबंध समाप्त किये जाने का प्रावधान है। इस कण्डिका के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री द्वारा अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही किये जाने पर अनुबंध की कण्डिका 12 के प्रावधानों के तहत ठेकेदारों द्वारा डिस्ट्रिब्यूट रिजोल्यूशन मेकेनिज्म का सहारा लेते हुये अधीक्षण यंत्री के यहां अपील प्रस्तुत की जाती है। कई प्रकरणों में ठेकेदार द्वारा की गई अपील के परिपेक्ष में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाकर कार्यपालन यंत्री द्वारा अनुबंध समाप्त किये जाने की कार्यवाही को निरस्त किया जाकर अनुबंध पुनर्जीवित किया जाता है। कुछ प्रकरणों में अधीक्षण यंत्री द्वारा यह पारितोष न देते हुये ठेकेदार की अपील अमान्य की जाती है। ऐसे प्रकरणों में ठेकेदार द्वितीय अपील मुख्य अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मुख्य अभियंता भी ठेकेदार की अपील पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेकर अनुबंध को पुनर्जीवित करने की कार्यवाही कर सकते हैं।

यह पाया गया है कि कतिपय प्रकरणों में ठेकेदार का अनुबंध सक्षम अधिकारी द्वारा एक बार पुनर्जीवित किये जाने के पश्चात भी ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किये जाने के कारण कार्यपालन यंत्री द्वारा ठेकेदार का अनुबंध पुनः समाप्त की जाने की कार्यवाही की जाती है। ठेकेदारों द्वारा पुनः इस आदेश के विरुद्ध अपील किये जाने पर अनुबंध को पुनर्जीवित करने की कार्यवाही उसी स्तर से न की जाये जिस स्तर से पूर्व में अनुबंध पुनर्जीवित किया गया था। स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई अनुबंध पूर्व में अधीक्षण यंत्री के स्तर से पुनर्जीवित किया गया है तब कार्यपालन यंत्री द्वारा अनुबंध को पुनः समाप्त करने की स्थिति में अधीक्षण यंत्री ठेकेदार

26277  
103/112

महाराष्ट्र शासन, लोक निर्माण विभाग

सचिव

*(Handwritten signature)*  
26/02/2018

1. निवा सहायक, माननीय मंत्री जी, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
2. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
3. समस्त अतिरिक्त परियोजना सहायक, मध्यप्रदेश।
4. समस्त अधीक्षक यंत्री, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
5. समस्त सहायक परियोजना सहायक, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
7. समस्त सहायक परियोजना यंत्री मध्यप्रदेश।

प्रतिनिधि -

पृ.क्रमांक १९१

2018/19/यं/परिपत्र

भोपाल दिनांक 26/02/2018

महाराष्ट्र शासन, लोक निर्माण विभाग

सचिव

(सहायक सचिव)

*(Handwritten signature)*  
26/2/18

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

तहत आर्दीक्षण रूखनल में अधील प्रस्तुत कर सकी।

जा सकी तथा ठेकेदार मुख्य अभियंता के आदेश के विरुद्ध अनुबंध के प्राधानों के है तब द्वितीय बार पुनर्जीवित किए जाने की कार्यवाही मुख्य अभियंता स्तर से नहीं की प्रथम बार अनुबंध को पुनर्जीवित करने की कार्यवाही मुख्य अभियंता के स्तर से की गई गुण-दोष के आधार पर मुख्य अभियंता के स्तर से की जा सकी। इसी प्रकार यदि की अधील पर इसे पुनः पुनर्जीवित नहीं कर सकी एवं यह कार्यवाही द्वितीय अधील में